

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.19(5)न्याय/2011

जयपुर, दिनांक : 21.07.2011

आज्ञा

माननीय उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से जिला न्यायाधीश केंद्र के निम्नांकित न्यायिक अधिकारियों द्वारा कॉलम संख्या 4 में वर्णित दिनांक को अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण करने पर वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.1(6)वित्त/रूल्स/98 दिनांक 24.05.2004 के अनुसरण में कॉलम संख्या 4 में वर्णित दिनांक को अपरान्ह राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र.सं.	अधिकारियों के नाम सर्वश्री / श्रीमती	जन्म दिनांक	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	2.	3.	4.
1.	हीरा लाल चाण्डा	02.01.1952	31.01.2012
2.	गिरिश कुमार पाण्डे	15.02.1952	29.02.2012
3.	गोपेश चन्द दीक्षित	21.03.1952	31.03.2012
4.	मोहम्मद अनवर आलम	29.04.1952	30.04.2012
5.	राम बाबू चतुर्वेदी	01.06.1952	31.05.2012
6.	बलजीत कौर मठारू	01.07.1952	30.06.2012
7.	राजेन्द्र कुमार शर्मा-I	06.07.1952	31.07.2012
8.	धर्म सिंह मीना	21.07.1952	31.07.2012
9.	कपिल भार्गव	08.07.1952	31.07.2012
10.	चन्द्र नारायण माथुर	30.07.1952	31.07.2012
11.	ओम प्रकाश सिंह-II	20.07.1952	31.07.2012
12.	घनश्याम गिरी	03.07.1952	31.07.2012
13.	सुरेश चन्द्र शर्मा	06.07.1952	31.07.2012
14.	अनिल कुमार मिश्रा	22.08.1952	31.08.2012
15.	जमना दास थानवी	10.09.1952	30.09.2012
16.	ओम प्रकाश	16.11.1952	30.11.2012
17.	शिव चरण भूषण	07.11.1952	30.11.2012

क्रम संख्या 12 पर श्री घनश्याम गिरी के विरुद्ध विभागीय जांच राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत विचाराधीन है तथा क्रम संख्या 8 पर धर्म सिंह मीना के विरुद्ध विभागीय जांच राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियम 1958 के नियम 16 व 17 के अन्तर्गत आज दिनांक तक विचाराधीन है।

आज्ञा से



प्रमुख शासन सचिव

283
10/1/12

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.19(5)न्याय/2011

जयपुर, दिनांक :

2 JAN 2012

आज्ञा

माननीय उच्च न्यायालय के प्रस्तावानुसार विभाग के आदेश दि० 21.07.2011 के पैरा संख्या 2 में "तथा क्रम संख्या 8 पर धर्मसिंह मीणा के विरुद्ध विभागीय जांच राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1958 के नियम 16 व 17 के अन्तर्गत आज दिनांक तक विचाराधीन है" के स्थान पर "वर्तमान में श्री धर्म सिंह मीणा के विरुद्ध जांच विभागीय जांच राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत लंबित है" एवं राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत कोई जांच लंबित नहीं होने का संशोधित आदेश एतद्वारा जारी किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

SK


(प्रकाश गुप्ता)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक 17690 दिनांक 02.11.2011 के क्रम में।
5. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर।
6. संबंधित अधिकारी मार्फत रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
7. वित्त व्यय-5/बजट विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

Chandel/Law/Permission/1032



(देवेन्द्र प्रकाश शर्मा)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.19(5)न्याय/2011 जय

जयपुर, दिनांक : 27.01.2012

आज्ञा

जिला न्यायाधीश कंडर व न्यायिक अधिकारी श्री धनश्याम गिरी, पूर्व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश को अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने की स्थिति में दिनांक 31.07.2012 को सेवानिवृत्त होना था, लेकिन कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प.1(335)कार्मिक/क-3/जांच/2011 दिनांक 08.12.2011 द्वारा उन्हें सेवा से पृथक किया जा चुका है। उक्त आदेश के दृष्टिकोण माननीय उच्च न्यायालय के प्रस्तावानुसार दिनांक 21.07.2011 को अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्ति के संबंध में जारी आदेश दिनांक 21.07.2011 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम संख्या 12 को सम्पूर्ण एवं बिन्दु संख्या 2 के "क्रम संख्या 12 पर श्री धनश्याम गिरी के विरुद्ध विभागीय जांच राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत विचारधीन है" को महानहिन राज्यपाल महोदय की आज्ञा से एतद्वारा विलोपित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से



प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव महानहिन राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक 209 दिनांक 03.01.2012 के क्रम में।
5. निदेशक पेंशन एवं प्रेशन्स बेलफेयर विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर।
6. संबंधित अधिकारी मार्फत रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
7. रक्षित पत्रावली।


उप शासन सचिव
27/1